

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/B/2019/546

दिनांक.- 22/03/2019

आदेश

निम्नांकित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता/अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (जीएनएम प्रशिक्षणार्थी) का उनकी स्वयं की प्रार्थना पर आर.एस.आर. नियम-112 के तहत उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिका का नाम	पदस्थापन स्थान	अवकाश अवधि
1	श्रीमती सुनैना	उप स्वास्थ्य केन्द्र, सांगडा, खण्ड भादरा, जिला हनुमानगढ	1 दिनांक 11.09.2018 से 10.09.2020 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 11.09.2020 से 08.01.2021 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 09.01.2021 से 11.09.2021 तक 246 दिवस का असाधारण अवकाश।
2	श्रीमती प्रमोद मलिक	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रातुसर, खण्ड सरदारशहर, जिला चूरू	निदेशालय के आदेश क्रमांक 156 दिनांक 05.02.2016 द्वारा स्वीकृत अध्ययन अवकाश की निरन्तरता में 1. दिनांक 08.10.2017 से 19.12.2017 तक 73 दिवस का उपार्जित अवकाश। 2. दिनांक 20.12.2017 से 05.04.2018 तक 107 दिवस का असाधारण अवकाश।
3	श्रीमती मुन्नी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोहनवाडी, खण्ड नवलगढ, जिला झुञ्जुनू	1. दिनांक 12.09.2018 से 11.09.2020 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 12.09.2020 से 09.01.2021 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 10.01.2021 से 11.09.2021 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।
4	श्रीमती साधना मीना	उपकेन्द्र पाटोली, खण्ड महवा, जिला दौसा	1. दिनांक 07.09.2018 से 06.09.2020 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 07.09.2020 से 15.12.2020 तक 100 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 16.12.2020 से 04.01.2021 तक 20 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश। 4. दिनांक 05.01.2021 से 06.09.2021 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।
5	श्रीमती वर्षा डैला	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गिडा, खण्ड बायतू, जिला बाडमेर	1. दिनांक 13.04.2018 से 12.04.2020 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 13.04.2020 से 10.08.2020 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 11.08.2020 से 12.04.2021 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।

6	श्रीमती निधि सिंह	सीएचसी कापरेन, बून्दी	<ol style="list-style-type: none"> 1. दिनांक 28.12.2017 से 27.12.2019 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 28.12.2019 से 25.04.2020 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 26.04.2020 से 26.12.2020 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।
7	श्रीमती पिकेश	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोविन्दगढ, जिला जयपुर प्रथम	<ol style="list-style-type: none"> 1. दिनांक 10.04.2018 से 09.04.2020 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 10.04.2020 से 18.07.2020 तक 100 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 19.07.2020 से 07.08.2020 तक 20 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश। 4. दिनांक 08.08.2020 से 09.04.2021 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।
8	श्रीमती सोनल चौहान	उप स्वास्थ्य केन्द्र, मोडी का झोपडा, खण्ड केकडी, जिला अजमेर	<ol style="list-style-type: none"> 1. दिनांक 12.04.2018 से 11.04.2020 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 12.04.2020 से 09.08.2020 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 10.08.2020 से 11.04.2021 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।
9	श्रीमती बबिता बरवड	उपकेन्द्र हनुमानपुरा, खण्ड दांता, जिला सीकर	<ol style="list-style-type: none"> 1. दिनांक 11.09.2018 से 10.09.2020 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 11.09.2020 से 09.12.2020 तक 90 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 10.12.2020 से 08.01.2021 तक 30 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश। 4. दिनांक 09.01.2021 से 10.09.2021 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।
10	श्रीमती सुनिता कवंर	उपकेन्द्र परसरामपुरा, खण्ड दांता, जिला सीकर	<ol style="list-style-type: none"> 1. दिनांक 10.09.2018 से 09.09.2020 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 10.09.2020 से 17.11.2020 तक 69 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 18.11.2020 से 07.01.2021 तक 51 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश। 4. दिनांक 08.01.2021 से 09.09.2021 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।
11	श्रीमती सुमित्रा	उपकेन्द्र मंगरा, खण्ड दांता, जिला सीकर	<ol style="list-style-type: none"> 1. दिनांक 11.09.2018 से 10.09.2020 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 11.09.2020 से 12.12.2020 तक 93 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 13.12.2020 से 08.01.2021 तक 27 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश। 4. दिनांक 09.01.2021 से 10.09.2021 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।

12	श्रीमती कौशल्या देवी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कैमला, खण्ड गुढाचन्द्रजी, जिला करौली	निदेशालय के आदेश क्रमांक 890 दिनांक 20.05.2016 द्वारा स्वीकृत अध्ययन अवकाश की निरन्तरता में 1. दिनांक 06.01.2018 से 06.10.2018 तक 274 दिवस का असाधारण अवकाश।
13	श्रीमती रेखा वर्मा	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सांकडा मुख्यालय पोकरण, जिला जैसलमेर	निदेशालय के आदेश क्रमांक 1156 दिनांक 28.07.2016 द्वारा स्वीकृत अध्ययन अवकाश की निरन्तरता में 1. दिनांक 12.10.2017 से 08.02.2018 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश। 2. दिनांक 09.02.2018 से 10.10.2018 तक 244 दिवस का असाधारण अवकाश।
14	श्रीमती कल्पना ढाका	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नीमकाथाना, जिला सीकर	1 दिनांक 13.04.2018 से 12.04.2020 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 13.04.2020 से 13.07.2020 तक 92 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 14.07.2020 से 10.08.2020 तक 28 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश। 4. दिनांक 11.08.2020 से 12.04.2021 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।
15	श्रीमती सरिता कुमारी	उप स्वास्थ्य केन्द्र, कुम्हाणा जोहड, खण्ड नवलगढ, जिला झुझुनू	1. दिनांक 11.09.2018 से 10.09.2020 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 11.09.2020 से 08.01.2021 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 09.01.2021 से 10.09.2021 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।
16	श्रीमती पूनम ओला	सामुदायिक स्वा केन्द्र माण्डवला, खण्ड सायला, जालौर	1 दिनांक 23.05.2018 से 22.05.2020 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 23.05.2020 से 19.09.2020 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 20.09.2020 से 22.05.2021 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।
17	श्रीमती सरिता	उप केन्द्र तारा का बास, खण्ड चिडावा, झुझुनू	1. दिनांक 28.12.2017 से 27.12.2019 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 28.12.2019 से 03.04.2020 तक 98 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 04.04.2020 से 25.04.2020 तक 22 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश। 4. दिनांक 26.04.2020 से 27.12.2020 तक 246 दिवस असाधारण अवकाश।

18	सुश्री पूजा सिनम	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डग, झालावाड	1. दिनांक 12.04.2018 से 11.04.2020 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 12.04.2020 से 18.07.2020 तक 98 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 19.07.2020 से 09.04.2021 तक 265 दिवस का असाधारण अवकाश।
19	श्रीमती रक्षा परिहार	उप स्वास्थ्य केन्द्र नागणेशिया, दुण्डा- बायतु, बाडमेर	निदेशालय के आदेश क्रमांक 1099 दिनांक 02.08.2016 द्वारा स्वीकृत अध्ययन अवकाश की निरन्तरता में 1. दिनांक 13.04.2018 से 11.10.2018 तक 182 दिवस का असाधारण अवकाश।

ई-

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/B/2019/546 दिनांक:- 22/2/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी/प्रधानाचार्य, जीएनएम प्रशिक्षण केन्द्र को भेजकर लेख है कि आप अपने स्तर से आपके अधीन कार्यरत/अध्ययनरत संबंधित कार्मिका को उक्त स्वीकृति आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण करें।
2. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर